राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक – एफ 13 (10)(5) खा.वि./खा.सु.अ./2013 जयपुर, दिनांक 08.09.2022

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022–2023 "खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूँ प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Security Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की मैं, घोषणा करता हूँ।" उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा NFSA योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने हेतु पोर्टल खोल कर आवेदन प्राप्त किए गये।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2018 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत समावेशन एवं निष्कासन के मानदण्ड निर्धारित किये गए है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त आवदेनों के निस्तारण की प्रक्रिया दिनांक 16.09.2022 से प्रारम्भ की जा रही है। एनएफएसए की पात्रता सूची में नाम जुडवाने के क्रम में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण संबंधी विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013 दिनांक 29.09.2017 को अधिक्रमित करते हुए समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.04.2022 के क्रम में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है–

1. जिला कलेक्टर अपने जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं समयबद्ध निस्तारण के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे। जिले में उक्त कार्य हेतु जिले में कार्यरत अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण यथा– सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी सहयोग लिया जा सकता है।
2. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किये जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी उनके अपने–अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी है।
3. प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के दौरान कमी–पूर्ति हेतु सेंड–बैक किये गए आवेदन में आवेदक द्वारा कमी–पूर्ति तीस (30) दिवस में किया जाना अनिवार्य होगा। सेंड–बैक किये गए आवेदन में आवेदक द्वारा कमी–पूर्ति तीस (30) दिवस में नहीं करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के क्रम में युक्तियुक्त निर्णय लिया जाकर अस्वीकृत किया जा सकेगा।
4. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी आवेदन–पत्र की पूर्ण रूप से जांच करेगा तथा आवेदन पत्र पूर्णतः सही पाए जाने पर ही आवेदक का नाम जोडने का निर्णय करेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य या स्वघोषणा पत्र पर किसी प्रकार का सन्देह होने पर प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी (उपखंड अधिकारी / जिला रसद अधिकारी) सम्बंधित विभाग से जांच करा सकेगा और संतुष्ट होने के पश्चात ही नाम जोडने की कार्यवाही करेगा।
5. आवेदक द्वारा समावेशन की श्रेणी के सम्बन्ध में स्वप्रमाणित/सैल्फ अटेस्टेड दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन अस्वीकार किया जायेगा।

6. आवेदन पत्र को स्वीकार करने से पूर्व विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में बताये गये निष्कासन श्रेणी के मापदण्डों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये अपीलों का निस्तारण किया जावे। किसी भी हालत में अपात्र व्यक्ति/ निष्कासन श्रेणी में आने वाले सदस्यों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं हो।
7. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व आवेदन पत्र व उसके साथ संलग्न प्रमाण–पत्र की पूर्णता से जांच करने तक सीमित है। यदि आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने का प्रकरण भविष्य में सामने आता है, तो ऐसे आवेदक का नाम निरस्त करते हुये उसके विरूद्ध नियमानुसार वसूली आदि सहित कानूनी कार्यवाही की जावे।
8. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि एक ही ई मित्र पर भारी संख्या मे या एक ही इलाके से बल्क मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो विशेष सावधानी बरतते हुये जांच कर निस्तारण करे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

(आशुतोष ऐ.डी. पेडणेकर)
शासन सचिव

क्रमांक – एफ 13 (10)(5) खा.वि./खा.सु.अ./2013 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर ।
13. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर ।
15. जिला कलक्टर, समस्त।
16. जिला रसद अधिकारी, समस्त राजस्थान।
17. उप/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त राजस्थान।
18. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त राजस्थान।
19. संयुक्त निदेशक (ई–पीडीएस/ई–पॉस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
20. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
21. उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
22. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
23. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान ।
24. रक्षित पत्रावली।

(रामस्वरूप) 8/3/22
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 5, गुरुवार, शाके 1940–सितम्बर 27, 2018
Asvina 5, Thursday, Saka 1940- September 27, 2018

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
अधिसूचना
जयपुर, सितम्बर 27, 2018

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

संख्या एफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 :–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)–निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 02–04–2018 को अधिक्रमित करते हुए समावेशन–निष्कासन संबंधी निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

समावेशन सूची

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
क्र. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी
1	2	3
1.	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2.	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3.	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4.	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5.	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।

1	2	3
6.	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7.	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
8.	एकल महिलाएँ	एकल महिलाएँ
9.	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10.	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11.	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	—
12.	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13.	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	—
14.	गैर सरकारी सफाई कर्मी	—
15.	स्ट्रीट वेण्डर	—
16.	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17.	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18.	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19.	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20.	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
21.	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22.	—	लघु कृषक
23.	आस्था कार्डधारी परिवार	आस्था कार्डधारी परिवार
24.	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
25.	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
26.	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
27.	बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)	बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)
28.	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
29.	डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ	डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
30.	निसंतान वृद्ध दंपति	निसंतान वृद्ध दंपति
31.	वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है	वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
32.	ट्रांसजेण्डर	ट्रांसजेण्डर

निष्कासन सूची

शहरी क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)
1	2
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।	2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन

3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।	प्राप्त करता हो।
4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर)।	3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
5. नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर)	4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।	5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो।
7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	6. ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

नोटः–

1 समावेशन प्राथमिकता श्रेणी (कम संख्या 1–32 तक) के सभी चिन्हित लाभार्थी खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र होंगे। निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

2 राज्य सरकार द्वारा इन पात्रता शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

3 आम–जन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://www.food.rajasthan.gov.in/ पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

अंजू राजपाल,
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।